

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई०ए०एस०

(Bank Case)

प्रकरण संख्या - 35/2022

एच.डी.बी. फाईनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय:- सेकण्ड फ्लोर, प्रोसेज हाउस, कमला मीलस्, सेनापती बापत मार्ग लोवर परेल, मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय- घोडे वाला बाबा चौराहा, शोपिंग सेन्टर, कोटा (राज.) जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री श्याम सुन्दर दाधीच।

- प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

## बनाम

1. तिलेश रावलानी पुत्र श्री पुरुषोत्तम रावलानी  
पता- म.नं. 1-भ-39, दादाबाडी (विस्तार), तहसील- लाडपुरा, कोटा (राज.) 324009
2. राजस्थान ट्रेडर्स - (ऋणी)  
पता- स्ट्रीट ग्राण्ड होटल, रामपुरा बाजार, कोटा (राज.) 324006
3. पूनम रावलानी पुत्री श्री पुरुषोत्तम रावलानी  
पता- म.नं. 1-भ-39, दादाबाडी (विस्तार), तहसील- लाडपुरा, कोटा (राज.) 324009

- सहऋणी /अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्वोरिटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002



उपस्थित

श्री नरपत सिंह राजावत, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांक: 07-06-2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है एच.डी.बी. फाईनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय:- सेकण्ड फ्लोर, प्रोसेज हाउस, कमला मीलस्, सेनापती बापत मार्ग लोवर परेल, मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय- घोडे वाला बाबा चौराहा, शोपिंग सेन्टर, कोटा (राज.) में स्थित है से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने दिनांक 31.10.2017 को कुल ऋण रूपये 36,14,200/- (अक्षरे: रूपये छत्तीस लाख, चौदह हजार दो सौ मात्र ) का ऋण लिया था। अप्रार्थी सं० 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति म.नं. 1-भ-39, दादाबाडी (विस्तार), तहसील- लाडपुरा, कोटा (राज.) राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 66 वर्ग मीटर है, जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में- मकान नं.- 1 भ, पश्चिम में- मेन रोड, उत्तर में- मकान नं.- 1 भ 40, दक्षिण में- मकान नं.- 1 भ 38 स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक. 03.09.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 38,04,679/- ( अक्षरे रूपये अडतीस लाख, चार हजार, छः सौ उनयासी रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 18.06.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के

जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज०)

अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 18.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र जनसत्ता में दिनांक 20.09.2021 को एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 20.09.2021 में प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 18.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र जनसत्ता में दिनांक 20.09.2021 को एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 20.09.2021 में प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत को दिनांक 18.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र जनसत्ता में दिनांक 20.09.2021 को एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 20.09.2021 में प्रकाशन भी कराया इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता अचल सम्पत्ति म.नं. 1-भ-39, दादाबाडी (विस्तार), तहसील- लाडपुरा, कोटा (राज.) राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 66 वर्ग मीटर है, जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में- मकान नं.- 1 भ, पश्चिम में- मेन रोड, उत्तर में- मकान नं.- 1 भ 40, दक्षिण में- मकान नं.- 1 भ 38 स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 07-06-2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)  
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज०)